न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 92/2019

प्रार्थीगण

नेनाराम पुत्र करनारामजी जाति रावणा राजपूत निवासी गोलिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर रा.

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजूराम पुत्र नेनाराम रावणा राजपुत निवासी गोलिया
2. केसाराम पुत्र बावरराम रबारी निवासी गोलिया
3. रूपाराम पुत्र बावरराम रबारी निवासी गोलिया
4. अमरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी गोलिया
5. डूंगरराम पुत्र झालाराम रबारी निवासी गोलिया
6. पताराम पुत्र करनाराम जाति रावणा राजपूत निवासी गोलिया
7. लालाराम पुत्र करनाराम जाति रावणा राजपूत निवासी गोलिया
8. चनणसिंह पुत्र पन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी गोलिया तहसील सिवाना जिला बाडमेर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :–19.02.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071 सरहद मौजा गोलिया पटवार मण्डल गोलिया तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 157/32 रकबा 00.9874 हैक्टेयर, अर्थात 06–08 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह [illegible] माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार को लेकर तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:38:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा गोलिया पटवार मण्डल गोलिया तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 157/32 रकबा 00.9874 हैक्टेयर, अर्थात 06-08 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19.02.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:38:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाद/2021/ 5904 　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक : 15/03/2021

प्रार्थी 　　　　　　　　बनाम 　　　　　　　　विप्रार्थीगण

नेनाराम 　　　　　　　　　　　　　　　　**राजूराम वगैरा**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं......92/2021 　　　　　　　　आदेश दिनांक :– 19.02.2021

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में गोलिया पटवार मण्डल गोलिया तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 157/32 रकबा 00.9874 हैक्टेयर, अर्थात 06–08 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार. सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींस रूपये 500/–प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)
सिवाना

दिनांक : 15.03.2021

क्रमांक: वाद/2021/ 5905-5908

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी सिवाना
3. हल्का पटवारी गोलिया को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
   प्रार्थी नेनाराम पुत्र करनाराम जाति राजपूत निवासी गोलिया तहसील सिवाना जिला बाड़मेर राज.
4. विप्रार्थी राजूराम पुत्र नेनाराम वगैरा निवासी सिवाना

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)
सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.03.16 12:38:51 IST
Reason: SelfAttested